कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 2213 (अ0प्र0 /पटना, दिनांक 27/12/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
ब्राडा, पटना ।

विषय :- राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत ''पटना बख्तियारपुर फोरलेन (एन.एच.-30) के 49वें कि0मी0 से चेरों नगरनौसा RCD रोड के 5वें कि0मी0 छठ्ठी घाट तक'' पथ निर्माण अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का SIA हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक-2179/भू0अ0 दिनांक-21.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत ''पटना बख्तियारपुर फोरलेन (एन.एच.-30) के 49वें कि0मी0 से चेरों नगरनौसा RCD रोड के 5वें कि0मी0 छठ्ठी घाट तक'' पथ निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु बिहार भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2014 के तहत् अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (S.I.A.) किया जाना है। इस हेतु S.I.A. शुल्क संबंधित संस्थानों को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा भुगतान किया जाना है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन हेतु शूल्क की राशि लगभग 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये व्यय की संभावना व्यक्त करते हुए राशि की मांग की गई है।

अत: श्रीमान् से अनुरोध है कि अधियाचित राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन-

27/12/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

27/12/2021

27/12/21

Lett (2021-22)Part-2(2)

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला भू–अर्जन शाखा)

पत्रांक 2179 / भू0अ0, दिनांक 21 / 12 / 2021

प्रेषक,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना।

विषय :– परियोजना पटना–बख्तियारपुर 4 लेन **(NH-30)** के 49वें कि0मी0 से चेरों नगरनौसा **R.C.D.** रोड के **5वें** कि0मी0 छठ्ठी घाट तक पथ निर्माण अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का **SIA** हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–2174, पटना दिनांक–17.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नालन्दा जिलान्तर्गत परियोजना पटना–बख्तियारपुर 4 लेन (NH-30) के 49वें कि0मी0 से चेरों नगरनौसा R.C.D. रोड के 5वें कि0मी0 छठ्ठी घाट तक पथ निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तदनुसार बिहार भू–अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2014 के तहत् अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) किया जाना है। इस हेतु S.I.A. शुल्क संबंधित संस्थानों को भुगतान किया जाना होता है। सामाजिक प्रभाव आकलन हेतु शूल्क की राशि लगभग 20,00,000 / – (बीस लाख) रुपये व्यय होने की संभावना है।

अतः संभावित व्यय होने वाली राशि मो0 20,00,000 / – (बीस लाख) रुपये जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा के नाम कोषागार कार्यालय में संधारित PD Account No.-PDANLD002 के तहत् Ledger ID-**14668** एवं Ledger Name-Patna Bakhtiyarpur 4 lane (NH-30) ka Chhathi Ghat Path Nirman में जमा करा दी जाय।

विश्वासभाजन

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा।